न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–325/2008

राम तपस्या सिंह...............................वादी।

बनाम्

रामपूजन सिंह वगैरह्...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

19.12.2024 उभय पक्षों की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–19.12.2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, दफा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 23 शारदा सिंह की मृत्यु दिनांक–16.11.2024 को हो चुकी है तथा अनुरोध करते है मृत प्रतिवादी सं0 23 शारदा सिंह का नाम इस वाद से कलमजद करते हुए उनके वारीसान उत्तम कुमार सिंह, विजय बहादुर सिंह, मु0 सुमित्री देवी तथा विद्या सागर सिंह का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के प्रतिस्थापन आवेदन पर अनापत्ति अंकित करते है।

उभय पक्षों को सुना तथा अवलोंकन किया। उक्त आवेदन शपथ पत्र पर समर्थित है तथा प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गय है। अतः उपरोक्त के आलोक में वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक– 19.12.2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा मृत प्रतिवादी सं0 23 शारदा सिंह का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा उनके कानूनी वारीसान उत्तम कुमार सिंह, विजय बहादुर सिंह, मु0 सुमित्री देवी तथा विद्या सागर सिंह का नाम के मृत प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय मृत प्रतिवादी सं0 23 शारदा सिंह का नाम कलमजद करते हुए

लगातार

19.12.2024 उनके वारीसानों का नाम मृत प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू आवश्यक आपेक्षिकाएँ दाखिल करें तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–24.02.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)

Yxkrkj
21-10-024